है । इस समय राज्य में इस कार्यक्रम के अधीन 45 जिला क्षय रोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

जिला क्षय रोग केन्द्रों और परिधीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी का पता लगाने के कार्यकलाप को स्पूटम सूक्ष्मदर्शी जांच और एक्स-रे के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। रोगियों को क्षय रोग रोधी औषधें मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ) प्रचलित क्षय रोग-रोधी औषधों की कोई कमी नहीं है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, मध्य प्रदेश के जिलों को चरणबद्ध ढंग से अल्पावधि केमोथिरेपी औषधें सप्लाई की जा रही हैं। अब तक 45 जिलों में से 36 जिलों में ऐसा लाभ पहुंचाया गया है।

Guidelines for admissions in Private Medical Colleges

2299. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have evolved lied guidelines for admission to private medical and dental colleges in a bid to streamline the existing procedure including fee structure in such professional institutions located in the country;

(b) if so, the details thereof indicating whether guidelines were issued in pursu ance of the supreme Court's judgements in several writ petitions concerning reserva tion of seats both for Indian and foreign students including free and payment seats in urban and rural areas medical colleges set up in the country; and

(c) whether the Ministry of Health and Family Welfare's new guidelines cover Indian systems of medicine, homoeopa thy and Nursing institutions and who will be eligible to set up such professional medical colleges and control admission capacity therefor in future ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHKI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) Yes, Sir,

(c) Yes, Sir. As per Supreme Court judgement only a Society registered under the Society Registration Act, 1860 or a Public Trust, religious or charitable registered under the Trusts Act, Wakf Act or corresponding Acts, legislations, if any, shall be eligible to establish a professional college and number of seats in such professional colleges shall be fixed by the appropriate authority.

जनसंख्या नियंत्रण हेतु विदेशी सहायता

2300. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन एजेंसियों से भारत सरकार को किस तरह की सहायता प्राप्त हुई है तथा उसके अनुसार राज्यों को किस तरह की सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० खिल्लेरा) :

(क) जी, हां

(ख) उन मुख्य कार्यक्रमों जिनके लिए बाहरी सहायता प्राप्त की जा रही है, के साथ विगत तीन वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	धन देने वाली एजेंसी का नाम	वर्ष			प्रमुख कार्यक्रम/परियोजनाएं
		1991-92	1992-93	1993-94	
1.	विश्व बैंक	86.81	162.17	240.71	(i) 15 राज्यों में से क्षेत्र विकास परियोजनाएं ।
					(ii) देशभर में चरणबद्ध ढंग से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व परियोजना ।
					(iii) उच्च जन्म दरों वाले पता लगाए गए 90 जिलों (9 राज्यों में स्थित) में सामाजिक सुरक्षा नेट ।